

राजस्थान-सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर 342 032

क्रमांक: एफ-5(230)/AICTE/VOL-XV/तशिनि/ई-2/2018/ दिनांक:31.10.2018

17941-17983

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय,
राजकीय महिला पॉलिटैक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषय : ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा वांछित “ Online Grievance Redressal
Machanism “ बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि AICTE की Approval Process Hand-book के परिशिष्ट-12 के अनुसार संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिकायतों के निस्तारण हेतु Online Grievance Redressal Machanism अपेक्षित हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में इस हेतु गत 4-5 वर्षों से ही “Sampark (CM Helpline-181) Portal” कार्यशील हैं, जिस पर सभी विद्यार्थी/अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन अथवा दूरभाष -181 पर फोन कर दर्ज करवाई जा सकती हैं। इस पोर्टल पर राजकीय एवं निजी पॉलिटैक्निक के समस्त छात्र/अभिभावक अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

जिले की राजकीय पॉलिटैक्निक के प्रवक्ता (Level-1) एवं प्रधानाचार्य (Level-2)के अधिकारी इस शिकायत को Online देख कर Online ही उसका निवारण करते हैं।

निर्धारित समय सीमा (30 दिन) तक निस्तारण नहीं होने पर निदेशक, तकनीकी शिक्षा (Level-3) तक यह शिकायत पहुँच जाती हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत अधिकारी समस्या समाधान हेतु (Level-4)के अधिकारी के रूप में नामित हैं।

यदि आपकी संस्थान के लिए AICTE द्वारा यह कमी (Deficiency) अंकित की गई हो तो यह पत्र Scrutiny Committee के समक्ष प्रस्तुत कर कमी निवारण हेतु आग्रह करें।

भवदीय,



निदेशक, तकनीकी शिक्षा